रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2018/फाल्गुन 7, 1939
No. 100] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2018/PHALGUNA 7, 1939

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

विषय : अधिसूचना संख्या 1/1/2016-एडब्ल्यूडी दिनांक 23.05.2017 का शुद्धिपत्र।

सा.का.नि. 185(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 495(अ) में दिनांक 23.05.2017 की अधिसूचना संख्या 1/1/2016-एडब्ल्यूडी, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) में हिंदी रूपांतर में अधिसूचना के नियम 4(i) में हिंदी अनुवाद को "राज्य बोर्ड इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस मास के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ऐसे पशु की, जो राज्य में सामान्यत: अभिगृहीत किए जाते हैं, प्रत्येक प्रजाति के लिए प्रतिदिन परिवहन, भरणपोषण और उपचार की लागत विनिर्दिष्ट करेगी" के स्थान पर "राज्य बोर्ड इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ऐसे पशु की, जो राज्य में सामान्यत: अभिगृहीत किए जाते हैं, प्रत्येक प्रजाति के लिए प्रतिदिन परिवहन, भरणपोषण और उपचार की लागत विनिर्दिष्ट करेगा" पढ़ा जाए।

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य बातें यथावत रहेंगी।

[फा. सं. 1/1/2016-एडब्ल्यूडी(पार्ट)]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd February, 2018

Subject: Corrigendum to Notification No. 1/1/2016-AWD dated 23.05.2017.

G.S.R. 185(E).—In the Notification No. 1/1/2016-AWD dated 23.05.2017 of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, bearing G.S.R. 495(E) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) regarding the Prevention of Cruelty to Animals (Care and Maintenance of Case Property Animals), Rule 4(i) of the Notification in the Hindi version may be read as "The State Board shall within three months from the date of commencement of these rules and thereafter on the 1st day of April of every year, specify the cost of transport, maintenance and treatment per day for every species of animal that is commonly seized in the State" instead of "The State Board shall within thirty months from the date of commencement of these rules and thereafter on the 1st day of April of every year, specify the cost of transport, maintenance and treatment per day for every species of animal that is commonly seized in the State."

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. 1/1/2016-AWD(Pt.)]

MANJU PANDEY, Jt. Secy. (AW)

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.26 22:44:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.